मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर ज़िले में वन अधिकार कानून की दशा: आदिवासियों पर हो रही अवैध बेदखली और हिंसा

पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा ज़िलों में कई ऐसे घटनाए हुई हैं, जहां मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा आदिवासी महिला - पुरुषों के साथ मारपीट की गई, उनका जबरन अपहरण कर, उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाया गया एवं उन्हे झूठे केसों में फंसा कर जेल भेजा गया है। यह पृथक व असाधारण घटनाएं नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने में दी जा रही मौन स्वीकृति का सीधा नतीजा है।

आदिवासी अधिकारों के हनन का एक ऐसा मामला नेगांव-जामनिया का है, जहा 40 आदिवासी परिवारों के ऊपर "सरकारी कार्यवाही" के नाम पर प्रशासन द्वारा खुलेआम अत्याचार किया गया। इन परिवारों के घर और खेत पूरी तरह नष्ट कर घर के सभी सामान वन विभाग एवं उनके द्वारा आस-पास के गांवों से लाए गए लगभग 200 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा लूटा गया। उपस्थित अधिकारियों को इस "कार्यवाही" की अवैधता बताने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ वन विभाग के अमले द्वारा मारपीट की गई और उन्हें लगभग 12 घंटे तक डीएफओ/संभागीय प्रबंधक (वन विकास निगम) के कार्यालय में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन भी छीन लिए गए थे जो अभी तक वापस नहीं किए गए हैं।

वन अधिकार कानून - 2006: अंग्रेजों द्वारा देश के वन संसाधनों की लूट के खिलाफ आदिवासी समुदायों के विरोध को कुचलने के लिए दमनकारी वन कानून बनाए गए थे। अंग्रेजों की इन नीतियों ने भीषण आदिवासी विद्रोहों और वन सत्याग्रहों को भी जन्म दिया, जो आज भी उनके संघर्ष, बलिदान और साहस के लिए याद किए जाते हैं। आजादी की लड़ाई में शहीद हुए "निमाड" क्षेत्र के टंटिया भील, गंजन सिंह कोर्कू, वीर सिंह गोंड, खाज्या नायक, भीमा नायक और अन्य कई आदिवासी नायक के नाम आज भी गर्व से लिए जाते हैं। परंतु 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने पर भी आदिवासियों को अंग्रेजों की दमनकारी वन नीतियों से आज़ादी नहीं मिली। सदियों से होते आ रहे इस अन्याय के खिलाफ देश भर के आदिवासियों के सतत संघर्ष के चलते, सरकार को आदिवासी और अन्य वन आधारित समुदायों के साथ होते आ रहे इस **"ऐतिहासिक अन्याय"** का संज्ञान लेना पड़ा और इसे खत्म करने के उद्देश्य से संसद ने **"अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम", 2006** पारित किया। यह कानून आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को व्यापक अधिकार देता है तथा वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में सदियों से चली आ रही आदिवासियों की अहम भूमिका को मान्यता देता है। वन अधिकार कानून के तहत दावों के सत्यापन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया स्थापित है, जिसमें ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका के साथ, अनुविभागीय स्तरीय और ज़िला स्तरीय समितियों की अपीलीय भूमिका निर्धारित की गई है। अधिनियम के तहत दावेदारों को दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली से संरक्षित किया गया है और अधिनियम के पारित होने के पूर्व में अवैध रूप से बेदखल हुए दावेदारों को यथावत पुनर्वास का अधिकार भी स्थापित किया गया है। दावों की सत्यापन प्रक्रिया में भी मुख्य भूमिका ग्राम सभा द्वारा की है, जिसके द्वारा जांच की जाएगी, तथा वन विभाग, राजस्व विभाग और आदिवासी विभाग की भागीदारी सात्यापन प्रक्रिया में ग्राम सभा की सहायता करने तक ही सीमित रखी गई है।
लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और आदिवासीयों को कमजोर और असुरक्षित बनाए रखने की सोची-समझी सरकारी रणनीति के कारण, न तो कानूनी प्रक्रिया दावों का जांच हो रही है, अथवा दावों को अवैध रूप से निरस्त किया जाता रहा हैं।

पिछले दो सालों में खंडवा और बुरहानपुर में हुए आदिवासियों पर क्रूर हमले, अवैध रूप से बंधक बनाए रखना, अवैध बेदखली और अन्य अत्याचारों के मामले: इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों पर किस तरह के व्यवस्थागत दमन हो रहा है। इनमे निम्न कानूनी उल्लंघन हुए है -

1. **वन अधिकार कानून की धारा 4(5) का उल्लंघन,** जो स्पष्ट रूप से वन अधिकारों की मान्यता और निहित होने की प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली को प्रतिबंधित करती है। प्रक्रिया के पूर्व बेदखली करना मध्य प्रदेश सरकार के आयुक्त, (आदिवासी कल्याण) द्वारा 1 मई, 2019 को जारी परिपत्र का भी उल्लंघन है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि पहले अपात्र पाए गए सभी दावों का पुन: सत्यापन किया जाना है, और इस प्रकार किसी को भी बेदखल नहीं किया जाना है। पुलिस भी इसका उल्लंघन करने में प्रशासन का सहयोग करती है, जबकि वन अधिकार कानून के समुचित क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार कलेक्टर, राज्य सरकार की ही तरह, लगातार शिकायतों के बावजूद, आंखें मूंद कर बैठे हैं।

2. **आदिवासियों पर वन विभाग का क्रूर और अवैध हमला, वन विभाग के कार्यालयों में अवैध रूप से बंदी बनाकर रखना:** यह स्पष्ट है कि वन विभाग और को कानूनी रूप से किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में पुलिस से की गई शिकायतों को भी लगातार नज़रअंदाज़ कर दिए जाते है।

3. **आदिवासियों को कैद करने के लिए कानून की गैर-जमानती धाराओं का उपयोग:** आदिवासियों के खिलाफ दायर किए गए कई मामलों में **जैव विविधता अधिनियम, 2002** की धारा 3-6 के तहत धाराए थोप दी जाती हैं। यह पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, क्योंकि वे जैव-विविधता के व्यवसायिक तस्करी एवं अनुसंधान से संबंधित हैं, **जबकि धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि वे स्थानीय समुदायों पर लागू नहीं होते हैं!** क्योंकि इन धाराओं के और धारा 55 के तहत दायर किए गए मामले गैर-जमानती हैं, इसलिए आदिवासियों को इनके तहत फंसा दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसी तरह, वन्यजीव अधिनियम की धारा 2, जो पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करने से संबंधित है, को इस आधार पर लगाया जाता है कि जब इस भूमि को खेती के लिए साफ किया गया था, तो उस पर पक्षियों के घोंसले रहे होंगे। 'अतिक्रमण' के आरोप के लिए भी इस धारा को लागू किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल जमानत का ही प्रावधान है।

- **सिवल - बदनापुर (ज़िला बुरहानपुर):** जुलाई 2019 में बुरहानपुर वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर सिवल के वन अधिकार दावेदारों के खेतों को जेसीबी मशीनों से नष्ट करने कि अवैध मुहिम चलाई। इसका विरोध कर रहे **शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से गोलीबारी की गई, जिसमें चार लोग घायल हुए।** उनके खेतों में खड़ी फसलों को उजाड़ कर, बबूल के बीज भी बिखेरे गए और आदिवासियों के खिलाफ हास्यास्पद झूठे मामले दर्ज किए गए। हज़ारों आदिवासियो द्वारा पुलिस के 3 दिनों के लगातार घेराव के बाद, वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते उनका तबादला भी किया गया। इसके बाद भी, अगले साल जून 2020 में सिलदार खजान के खेत में बनी झोपड़ी को भी जला दिया गया था। वन विभाग द्वारा आदिवासी दावेदारों को अब भी धमकी दी जाती हैं।

- **भिलाईखेड़ा (ज़िला खंडवा):** 26 जून, 2020 को वन विभाग, खंडवा ने भिलाईखेड़ा में वन अधिकार दावेदारों के खेतों को बुवाई से ठीक पहले नष्ट कर दिया। यहाँ भी दावेदारों के खेतों में वन विभाग ने बबूल के बीज रोपे, उन्हें खेती करने से रोकने। अप्रैल 2021 में, बिशन चंद्रसिंह अखाड़े और राधेश्याम छगन तडोले, दोनों एक गाँव के बाज़ार में थे, जब उनको वन विभाग ने घेर लिया और उठा लिया। दोनों आदिवासियों को वन विभाग द्वारा जबरन उठाकर खंडवा ले जाया गया जहां उन्हें रात भर अवैध हिरासत में बंधक बनाकर उनके साथ मार-पीट की गई। उनके गाँव के साथी वन विभाग के कार्यालय में अपने साथियों को ढूंदते हुए पहुंचे, तब गाँव वालों को देख वन अमले द्वारा उन्हें छिपा दिया गया और वन कर्मियों द्वारा उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया गया।

- **तांगियापाट (ज़िला बुरहानपुर):** कानून एवं वन अधिकारों की बढ़ती जागरूकता के कारण, वन अमले की सालों से चली आ रही, आदिवासियों से जबरन वसूली की प्रथा बंद पड़ गई है, और दावेदारों ने अपने अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया है। नाराज़ वन कर्मियों ने क्रूरता के साथ इसका जवाब दिया है - 29 अगस्त, 2020 को खकनार रेंज (बुरहानपुर) के वन अमले ने बाज़ार से लौट रहे तांगियापाट (रहमानपुरा) के 2 आदिवासियों, जबरसिंह वास्कले और सोमला अजनारे को अवैध रूप से उठा लिया। 30 अगस्त को जब उनके गांव के दो आदिवासी कार्यकर्ता, कैलाश जमरे और प्यारसिंह वास्कले उनकी जमानत के लिए जिला न्यायालय पहुंचे, तो उन्हें भी ज़िला न्यायालय परिसर से उठा लिया गया। इन सभी आदिवासियों को खकनार रेंज परिसर में एक नाकेदार के निजी क्वार्टर में बंधक रखा गया। आदिवासियों पर हथकड़ी लगाकर, खिड़कियों से बांधा गया, और नशे में धुत वन अमले द्वारा उन्हें रॉड और लाठियों से पीटा गया। अन्य ग्रामीणों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और पुलिस से भी उनके गायब किए जाने की शिकायत की, परंतु

उन्हें अगले दिन तक उनकी "गिरफ्तारी" की कोई सूचना नहीं दी गई। गैर जमानती धाराओं में जेल भेजने के इरादे के साथ उन पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972, और जैव विविधता अधिनियम, 2002 की उपरोक्त झूठी एवं अप्रासंगिक धाराएं लगाई गई। कार्यकर्ताओं को यह कह कर पीटा गया कि वे "**ज्यादा कानून – कानून कर रहे थे**"। इन कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में हो रहे पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा भी उठाया जा रहा था। पीटे जाने के दौरान, उन्हें कहा गया, "**तुम्हारे बाप का जंगल है जो तुम बचाओगे, कट रहा है तो कटने दो**!"। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश करने से पहले ही, रातभर की हिंसा के कारण कैलाश जमरे अदालत परिसर में ही बेसुध गिर पड़े, फिर भी उनपर हथकड़ी लगी रही। चोटों के कारण उन्हें एक सप्ताह अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस घटना के विरोध में एक हज़ार से अधिक आदिवासी कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने मामले की जांच की, परंतु कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले वन अमले एवं उनके अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

- **लिंगी फाटा (जिला बुरहानपुर):** 26 नवंबर, 2020 को ग्यारसीलाल अवाये को उठाया गया, जब वह अपने खेत से मवेशियों के चारे के लिए ज्वार (जोवार) के डंठल ले जा रहे थे। उन्हें असीर रेंज के कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ हाथ-पाँव बांधकर रॉड और पाइप से उन्हें पीटा गया। गाँव के आदिवासियों के कड़े विरोध के कारण, पुलिस ने शाम तक उन्हे अदालत में पेश करने में थोड़ी तत्परता दिखाई। पुलिस ने उनकी चोटों को दर्ज भी किया लेकिन उसपर कोई कार्यवाही आगे नहीं बड़ी है। 02 जुलाई, 2021 को इस गांव के एक और आदिवासी कार्यकर्ता, सूरसिंग अजनारे के साथ भी मारपीट की गई और असिर और धूलकोट रेंज के कर्मचारियों द्वारा जबरन अपहरण करने के प्रयास किये गए, लेकिन गाँव के आदिवासियों द्वारा मौके पर पहुँच उनको अवैध रूप से उठाए जाने से बचा लिया गया।

- **नेगांव-जामनिया (ज़िला खंडवा):** 10 जुलाई 2021 को ग्राम नेगांव, पंचायत जमुनिया, ज़िला खंडवा के वन अधिकार दावेदारों के परिवारों पर वन विभाग, पुलिस और आसपास के गांवों से वन विभाग द्वारा लायी गई 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला कर, उनके घरों को नष्ट किया गया। इन 40 आदिवासी परिवारों के घरों से अनाज, मुर्गी, बकरी, घरेलू सामान, मोबाइल फोन, साइकिल आदि लूटा गया। इस बीच, परिवारों के खेतों पर खड़ी फसलों को जेसीबी मशीनों द्वारा नष्ट किया गया और खेती की किसी भी संभावना को खत्म करने उनके खेतों में जहरीले रसायनों का छिड़काव किया गया। विभाग द्वारा इस अवैध मुहिम के दौरान महिलाओं सहित आदिवासियों को पीटा गया। तीन आदिवासियों को इस दौरान पकड़ कर उन्हे पीट कर उन्हें जबरन उठा लिया गया और गाड़ी में बैठा कर उन्हे ले जाया गया। जब संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मौके पर मौजूद वन विकास निगम के डीएफ़ओ को कार्यवाही की अवैधता की शिकायत कर, अवैध रूप से अपहरण किए गए आदिवासियों के बारे में जानकारी मांगी गई, तो तीन कार्यकर्ताओं को भी जबरन उठा लिया गया। सभी को डीएफओ/संभागीय प्रबंधक (वन विकास निगम) कार्यालय में 12 घंटे तक अवैध रूप से बंधक बना कर रखा गया, जिस दौरान नेगांव के आदिवासियों के हाथ भी बांधे गए थे। इस अवैध कार्यवाही की खबर मिलने पर आस पास के गांवों के सैकड़ों आदिवासियों ने एसपी (खंडवा) कार्यालय में धरना दिया, तथा इस अपहरण के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिसके चलते उन्हें रिहा किया गया।

अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आदिवासियों पर लगाए जा रहे जंगल काटने के आरोप: खंडवा-बुरहानपुर क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी और अवैध पेड़ों की कटाई की कई मामले सामने आए हैं, जिसमे जंगल को नष्ट करने में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत स्पष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा लकड़ी की तस्करी करने वाले वाहनों को पकड़ा है, लेकिन वन अधिकारियों ने मामले को दबाने और कार्यवाही के नाम पर लीपापोती की है। वहीं, कट रहे जंगल के लिए आदिवासियों को दोषी ठहराया जाता है। अवैध कटाई करने वाले समूह उल्टा यह दावा करते है कि उन्होंने वन अधिकारियों को भुगतान कर दिया है और इसलिए उन्हें अतिक्रमण करने की अनुमति है! जहां एक ओर वन अधिकार दावेदारों द्वारा इस प्रकार के अवैध कटाई को लगातार रोकने की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों द्वारा बेखौफ होकर पेड़ों को काटें जा रहे है – इससे वन अमले और अतिक्रमणकारियों की संलिप्तता स्पष्ट हो जाती है।